



मुख्यालय / Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी. आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली- 110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
Phone: 011- 23234336, VOIP-10011117
Email: jd-f2@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in / www.esic.in

संख्या : एफ-23/13/विनिर्दिष्ट शाखा/04/लेखा-II

दिनांक : 18 मार्च, 2024

जापन

विषय : दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति अनुसार खाता सं. 1 तथा 2 के नकदी शेष की समीक्षा कर अनुपयोगी राशि को खाता सं. 1 (केंद्रीय) में जमा करना।

वित्तीय वर्ष 2023-2024, दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने जा रहा है तथा यह अपेक्षित है कि वर्ष के अंत में ई.एस.आई. खाते में न्यूनतम शेष राशि अनुरक्षित (maintained) की जाए ताकि लेखा-परीक्षा के आपत्तियों से बचा जा सके।

उक्त संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि माह मार्च, 2024 का वेतन, पेंशन तथा हितलाभ व्यय के लिए नियत मासिक सीमा का स्वतः अंतरण मार्च महीने में नहीं किया जाएगा। अतः माह मार्च, 2024 से संबंधित आंतरायिक व्यय के लिए निधि की मांग का निवेदन दिनांक 27 मार्च, 2024 तक पर्याप्त समय 11.00 बजे (पूर्वाह्न) तक कर लिया जाए ताकि देयताएं/व्यय की पूर्ति की जा सके। **दिनांक 27 मार्च, 2024 को कार्यावधि की समाप्ति** तक अनुपयोगी शेष राशि को, (शाखा कार्यालय, एच.डी.सी - आर.एण्ड.एम अथवा अन्य कोई लेखा खाता) न्यूनतम राशि खाते में शेष रखते हुए, निरपवाद रूप से क.रा.बी. निगम खाता सं.1 (केंद्रीय) में जमा कर दिया जाए। दिनांक 28.03.2024 को मांगे गये निधि मांगपत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न किया जाए।

मार्च 2024 की नियत मासिक सीमा की निधि दिनांक 02.04.2024 को स्वतः अंतरित की जाएगी।

उपर्युक्त अनुदेशों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

जापन सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

(आशीष शांकर)
उप निदेशक (वित्त)

सेवा में,

सभी निदेशक (वित्त)/संयुक्त निदेशक(वित्त)/उप निदेशक(वित्त)/सहायक निदेशक(वित्त)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
एन.टी.ए., क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/अस्पताल/व्यावसायिक रोग केंद्र/मुख्यालय।

प्रतिलिपि :

- बीमा आयुक्त(एन.टी.ए.), क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त निदेशक/ उप. निदेशक(प्रभारी)/ निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोयडा, चिकित्सा अधीक्षक।
क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/आदर्श अस्पताल।
- वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



मुख्यालय / Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी. आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली- 110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
Phone: 011- 23234336, VOIP-10011117
Email: jd-f2@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in / www.esic.in

NO. F-23/13/Specified Branch/04/A/cs-II

Dated: 18th March, 2024

MEMORANDUM

Subject: Review of cash balance of Account No. 1 & 2 as on 31.03.2024 and to transfer the unutilized amount into ESI Account No. 1 (Central).

The Financial Year 2023-24 is going to be closed on 31st March, 2024 and it is desired that minimum balance should be maintained at the end of the year in each and every ESI account to avoid any audit objections.

In this connection, all units are informed that the fixed monthly limit for salary, pension & benefit payments of the March 2024 will not be transferred in the month of March. Therefore, the fund request for intermittent expenditure should be raised well before 27th March, 2024 till specified time i.e. till 11.00 AM, so that no liabilities/expenditure be kept pending for payment. The unutilized fund in Account No.2 (including Branch Office, HDC-R&M or any other account) should be remitted to ESI A/c No.1 (Central) invariably by the end of the working hours on 27th March, 2024 so that the minimum balance could be maintained in each and every account. Further, it is informed that fund request raised on 28th March, 2024 will not be entertained, unless approved by the competent authority.

The fixed monthly limit for the month of March, 2024 will be remitted automatically on 2nd April, 2024.

Strict compliance of the instructions should be ensured.

This issue with the approval of competent authority.


(ASHISH SHANKAR)
DY. DIRECTOR (FIN.)

To

The Director (Fin.)/Jt. Director (Fin.)/Dy. Director (Fin.)/ AD (Fin.)
E.S.I. Corporation,
NTA/R.O./S.R.O./Hospitals/O.D.Cs/Hqrs.

CC:

- The IC, NTA/ A.C. & R.D, Regional Director/Joint Director (I/c)/DD(I/c)
Medical Superintendent, Director (Medical) Delhi/Noida, Director (Fin.), Hqrs.
Regional Offices/SROs/Hospitals
- Website Content Manager to upload the same on ESIC website.